सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )पंरावि/प्रशा 2/कलिभ/कोर्टकेस/2018/पार्ट/385 जयपुर दिनांकः 12/02/2020

**–:परिपत्र:–**

**विषयः** कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने एवं प्रति हस्ताक्षर करने के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने एवं प्रति हस्ताक्षर करने के संबंध में रिट याचिका 6505/2019 अमित व्यास बनाम राज्य व अन्य दायर की गई है।

उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.5.2019 की पालना में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में रिट याचिका 6505/2019 अमित व्यास बनाम राज्य व अन्य में कवर्ड प्रकरणों में दिनांक 31.3.2020 तक प्रमाण पत्र जारी एवं प्रति हस्ताक्षर किये जा सकेंगे।
2. कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 हेतु कार्य अनुभव की गणना की अंतिम तिथि 18.4.2013 पूर्वानुसार ही रहेगी तथा बोनस अंको का लाभ परिपत्र क्रमांक 2071 दिनांक 26.5.2017 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही देय होगा।
3. कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बोनस अंकों का लाभ लिया जाकर दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया गया है तो उसे अन्य जिले में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2013 के लिए अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः बोनस का लाभ देय नहीं होगा।
4. जिला परिषद जिनमें विज्ञापित पदों के विरूद्ध समस्त नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है तथा नियुक्ति आदेश के उपरांत कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त है। उन्हें प्रतीक्षा सूची के माध्यम से ही भरा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में वर्तमान में जारी होने वाले अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति देय नहीं होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र No.F7(2)/DOP/A-2/81 Pt. दिनांक 19-7-2001 एवं No.F7(2)/DOP/A-2/81 Pt. दिनांक 26-4-2018 एवं विभागीय पत्रांक 1897 दिनांक 23.05..2019 के प्रावधानों का भी ध्यान रखा जावें।
5. दिनांक 5.4.2017 के उपरांत जारी अनुभव प्रमाण पत्र का कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में लाभ उसी स्थिति में देय होगा, जब भर्ती के संबंध में यथोचित नवीन कैलेंडर जारी किया जावें।

**( डॉ. आरूषी मलिक )**
**विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक**

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय जयपुर।
2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

12/2/2020

**अतिरिक्त आयुक्त एवं**
**संयुक्त शासन सचिव (III)**



Scanned by CamScanner